(c) Generally the patients are not treated as handicapped.

(d) Majority of patients with epilepsy have their attacks controlled with drugs and are able to lead reasonably normal life.

Steps to Prevent Polio Among Children

7745. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the invisible polio virus strikes more than 40,000 children in India which is 50 per cent of the polio cases in the World;

(b) whether Government would intensify the Naitonal Polio Eradication Programme by vaccinating every child below three years of age in a time-bound manner; and

(c) if so, the details of the steps that Government propose to take to check the crippling and debilitating rampant disease among the children by 2000 A.D.?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) According to available information 7898 cases of Poliomyelitis were reported globally in 1993. 4077 cases were reported from India. Under the Universal Immunization Programme started in 1985-86 intensive efforts for eradication of poliomyelitis have been undertaken through sustaining high levels of coverage of immunization. The number of reported cases of polio has declined from 28264 in 1987 to 4077 in 1993.

Poor Medical Serivces in Jammu and Kashmir

7746. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to stale:

(a) whether it is a fact that the number of psychiatric patients has alarmingly increased in Jammu and Kashmir;

(b) whether it is also a fact that medical facilities are totally inadequate in that state;

(c) whether it is also a fact that the sheduled drugs are marketed without prescription; and

(d) if so, what steps Government are contemplating to covercome such situations?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No such information is available.

(b) No, Sir.

(c) No such complaints are received.

(d) Does not arise.

खाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियों और लूपों की कमी

7747. **श्री अजीत जोगी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या देश में खाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियों और लूपों की कमी है जिसके कारण देश में "परिवार नियोजन कार्यक्रम" पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या निवारक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवाण कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

औषधियों का आयात/उत्पादन

7748. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में किन-किन देशों से औषधियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कितने मूल्य की विदेशी औषधियों का आयात किया गया है; और

(ग) उनमें से कितनी औषधियों का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Nursing Homes in Delhi

7749. SHRI MATANG SINH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of nursing homes are coming up in Delhi;

(b) if so, what arc the details thereof;

(c) the number of nursing homes set up since January, 1992;

(d) whether all such nursing homes have sought the clearance of Government;

(c) if so, what are the details thereof; and

(f) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SIIANKARANAND) (a) and (b) According to the Government of the NCT of Delhi, exact number of nursing homes in Delhi has not been ascertained. However, on the basis of survey conducted in 1991 there were 458 nursing homes.

(c) to (f) The Government of Delhi have no such information.

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित लम्बित आवेदन

7750. **श्री राम देव भंडारी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राज्य सरकार द्वारा अनुशासित केन्द्रीय सरकार के समक्ष स्वीकृती हेतु स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित लम्बित आवेदनों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष, 1991, 1992, 1993 और 1994 में अब तक क्रमशः अन्तिम रूप से निष्पादित आवेदनों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति की संख्या क्या-क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि किन्हीं विशेष कारणों से आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है जिसकी वजह से स्वतंत्रता सेनानी दलालों तथा भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा ठगी के शिकार होते हैं; और

(घ) क्या सरकार आवेदनों के निष्पादन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है जिससे स्वतंत्रता सेनानियों को परेशानी और ठगी से बचाया जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए 31 मार्च, 1994 तक बिहार राज्य से प्राप्त आवेदकों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। वर्ष, 1991 से 1994 (अद्यतन) के दौरान जिन व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान की गयी है (विधवाओं, अविवाहित/बेरोजगार आश्रित लड़कियों सहित) उनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	मामलों की संख्या, जिनमें पेंशन स्वीकृत की गयी है
1991	185
1992	141
1993	62
1994 (अद्यतन)	36

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। पेंशन प्रदान करने के सभी दावों पर, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विचार किया जाता है। और पेंशन प्रदान करने का निर्णय तभी लिया जाता है जब उपयुक्त सत्यापन करने के बाद स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो जाय कि पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदक पात्रता की शर्तें पूरी करता है। कुछ एक मामलों में न्यायालय/जेल के दस्तावेजों का सत्यापन करने में विलम्ब होता हैं। कई मामलों में, सरकार के निर्णय से असन्तुष्ट आवेदक अपने दावे रद्द किए जाने के खिलाफ पुनरीक्षा याचिकाएं/अभ्यावेदन भेजतें है। इस प्रकार की पुनरीक्षा याचिकाओं की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है अतः उनके निपटान के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना कठिन है।